रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2000 REGISTERED No. DL—33001/2000

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 2000 (माघ 8, 1921)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 2000 (MAGHA 8, 1921)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.]

नाम परिवर्तन

मैं अब तक विमल कुमार सैनी के नाम से ज्ञात, सुपुत्र श्री चन्द्र भाल सैनी कार्यालय खण्ड अभियंता, कार्य/स्वास्थ्य, अ०अ० मा० सं० में सफाईवाला पद पर कार्यरत निवासी पता वर्तमान 448/252क/3, ठाकुरगंज, लखनऊ ने अपना नाम बदल लिया है और इसके पश्चात् मेरा नाम विमल कुमार होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस बारे में अन्य कानूनी शर्तों को पूरा कर लिया है।

विमल कुमार सैनी
हस्ताक्षर (वर्तमान पुराने नाम के अनुसार)

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/ PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER
Controller of Publication

CHANGE OF NAMES

I hitherto known as POONAM JANEY wife of Shri ANIL AHUJA, a house-wife, residing at 22/5, Old Rajendra Nagar, New Delhi-110060, have changed my name and shall hereafter be known as Smt. AKSHINA AHUJA.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

POONAM JANEY
Signature (in existing old name)

I hitherto known as DEPAK SINGH VERMA S/o ASHOK KUMAR residing at F-14, Green Park Extension, New Delhi-110016 have changed my name and shall hereafter be known as DEEPAK SINGH RAJPUT.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DEEPAK SINGH VERMA
Signature (in existing old name)

I, hitherto known as DESH RAJ S/o Sh. KARTAR SINGH employed as Delhi Police in the Communnicatcn Unit Old Pclice Line, Raj Pur Road, Delhi-54, residing at C-4/2 Police Station Defence Colcny, New Delhi have changed my name and shall hereafter be known as DEVINDER SINGH.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

DESH RAJ
Signature (in existing old name)

नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ़ इंडिया लिमिटेड

एक्सचेंज की उपविधियों के अध्याय--12 में विहित प्रावधानों में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :—

1. अध्याय--12 में उपविधि के बाद उपविधि (1क) के रूप में निम्नलिखित उपविधि शामिल की जाती है :

उत्कथित

(1क) पूर्वोल्लिखित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि किसी व्यापारिक सदस्य को किसी ऐसे अन्य मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है अथवा बाकीदार घोषित कर दिया जाता है, जिसका वह सदस्य है अथवा यदि एस० ई० बी० आई० द्वारा उसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जाता है तो उक्त व्यापारिक सदस्य एक्सचेंज से निष्कासित कर दिया जाएगा।

अकथ्य

2. अध्याय--12 में विद्यमान उपविधि 11 के स्थान पर निम्नलिखित नई उपविधि 11 प्रतिस्थापित की जाती है :

उत्कथित

11. एक्सचेंज में आस्तियों का निहितार्थ

बाकीदार समिति बाकीदार द्वारा किसी भी रूप में जमा किए गए प्रतिभूति निक्षेप, मार्जिन राशि, उसके जमा खाते में शेष राशि और जमा की गई प्रतिभूतियों की मांग करेगी और उन की उगाही करेगी तथा एक्सचेंज की उपविधियों, नियमों एवम् विनियमों के अध्यधीन किए गए किसी संव्यवहार अथवा सौदे के संबंध में किसी व्यापारिक सदस्य द्वारा बाकीदार को देय अदा की जाने वाली अथवा सुपुर्द की जाने वाली सभी धनराशियों, प्रतिभूतियों तथा अन्य आस्तियों की वसूली करेगी और किसी भी व्यापारिक सदस्य को बाकीदार घोषित किए जाने पर उक्त आस्तियां, एक्सचेंज, नेशनल सिक्युरिटीज क्लीयरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, अन्य व्यापारिक सदस्य, बाकीदार के संघटक और पंजीकृत उप-दलालों, अनुमोदित बैंक और बाकीदार समिति द्वारा अनुमोदित अन्य व्यक्तियों तथा अन्य मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के हित में तथा देयों के लिए स्वयमेय ही एक्सचेंज में निहित हो जाएगी।

अकथ्य

3. अध्याय--12 में विद्यमान उपविधि 23 के स्थान पर निम्नलिखित नई उपविधि 23 प्रतिस्थापित की जाती है :—

आस्तियों का उपयोग

बाकीदार समिति नियम, उपविधि तथा विनियमों के अधीन अनुमत एक्सचेंज द्वारा किए जाने वाली सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों को चुकाने के बाद हाथ में बची निवल आस्तियों का उपयोग (बाकीदार द्वारा सूचित शेयरों की अशोध्य सुपुर्दगी के संबंध में होने वाले दायित्व को पूरा करने के लिए बाकीदार से वसूली गई समस्त आस्ति के 25% भाग को व्यापारिक सदस्य को बाकीदार घोषित किए जाने की तारीख से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए बचाकर रखने के बाद) निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में दावों का निपटान करने के लिए करेगी :—

(क) एक्सचेंज, नेशनल सिक्यूरिटीज क्लीयरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को देय राशि :

एक्सचेंज, नेशनल सिक्यूरिटीज क्लीयरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को देय अभिदाय, ऋण, जुर्माना, फीस, प्रभार और अन्य राशियों का भुगतान यहां उल्लेख किए गए नामों के क्रम में किया जाएगा।

(ख) अन्य व्यापारिक सदस्यों और बाकीदार के संघटकों तथा पंजीकृत उप--दलालों को देय राशि

एक्सचेंज के नियम, उपविधि और विनिमय के अध्यधीन बाकीदार द्वारा किए गए किसी संविदा के कारण उत्पन्न हुए ऋण, दायित्व, देनदारी और दावों के लिए अन्य व्यापारिक सदस्यों और बाकीदार के संघटकों तथा पंजीकृत उप--दलालों को देय राशि का भुगतान बाकीदार समिति द्वारा यथा स्वीकृत तरीकों से किया जाएगा। परन्तु यह तभी जब यदि राशि अपर्याप्त रही तो राशि अन्य व्यापारिक सदस्यों, बाकीदार के संघटकों और पंजीकृत उप--दलालों के बीच यथा अनुपात संवितरित की जाएगी। इसी प्रकार अन्य व्यापारिक सदस्य प्राप्त राशि को अपने संघटकों में यथा अनुपात आधार पर संवितरित करेंगे।

(ग) मान्यताप्राप्त बैंकों को देय राशि और बाकीदार समिति द्वारा यथा अनुमोदित अन्य व्यक्तियों के दावे :—

उल्लिखित (ख) के अनुरूप भुगतान कर दिए जाने के पश्चात यदि कोई राशि शेष बचती है तो उसका उपयोग मान्यताप्राप्त बैंकों और बाकीदार समिति द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले अन्य व्यक्तियों के दावों का निपटान करने के लिए किया जाएगा। मान्यताप्राप्त बैंकों के दावे एन० एस० ई० आई० एल०/एन० एस० सी० सी० एल० की उप--विधियों, नियम एवं विनियमों के अधीन बैंक गारंटी, दायित्व निवहन की प्रदत्त गारंटी प्रस्तुत करने के दायित्व को पूरा करने के लिए बाकीदार की ओर से यथास्थिति एक्सचेंज अथवा नेशनल सिक्यूरिटीज क्लीयरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को संबद्ध बैंक द्वारा जारी की गई किसी भी बैंक गारंटी की प्रार्थना किए जाने पर एक्सचेंज अथवा नेशनल सिक्यूरिटीज क्लीयरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के

आधार पर प्रस्तुत किए गए होने चाहिए । अन्य व्यक्तियों के दावे एक्सचेंज पर किए गए अथवा एक्सचेंज द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं में से किए गए अथवा आनुषंगिक संव्यवहारों के आधार पर प्रस्तुत किए गए होने चाहिए, परन्तु यह तभी जबकि उपलब्ध राशि उक्त सभी दावों का पूरा-पूरा भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हो और उनका भुगतान यथा अनुपात किया जाना हो; और

(घ) अन्य किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज को देय राशि :

उल्लिखित (ग) के अनुरूप दावों का निपटान कर दिए जाने के बाद, यदि कोई राशि शेष बचती है तो उसका संवितरण अन्य किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज को उक्त एक्सचेंज का एक सदस्य होने के कारण बाकीदार के दायित्वों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ किया जाएगा। यदि बाकीदार एक से अधिक मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज हों तब शेष राशि का संवितरण उन सभी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के बीच किया जाएगा और यदि उन सभी स्टाक एक्सचेंजों के दावों का निपटान करने के लिए शेष राशि अपर्याप्त हो तब शेष राशि सभी स्टाक एक्सचेंजों को यथाअनुपात आधार पर संवितरित की जाएगी।

(ङ) राशि आधिक्य

उक्त सभी दावों का निपटान कर दिए जाने के पश्चात यदि कोई राशि बची रहती है तो यह राशि एक्सचेंज द्वारा स्थापित निवेशक 'संरक्षण निधि' अन्तरित कर दी जाएगी।

अकथ्य

(4) अध्याय-XII में विद्यमान उपविधि 28 के स्थान पर निम्नलिखित नई उपविधि 28 प्रतिस्थापित की जाती है :

उत्कथित

बाकीदार के नाम में कार्यवाही

28. बाकीदार समिति (क) बाकीदार पर देय किसी भी राशि की वसूली करने के प्रयोजनार्थ एक्सचेंज के नाम था बाकीदार के नाम में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्यवाही प्रारम्भ करने (ख) बाकीदार पर देय किसी भी राशि की वसूली करने के प्रयोजनार्थ एक्सचेंज के नाम में अथवा बाकीदार के लेनदार के नाम 3 (एक्सचेंज की उपविधि, नियम और उपनियम के अध्यधीन निष्पादित किसी संव्यवहार के परिणामस्वरुप जो बाकी का लेनदार बनता है) बाकी दार के विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्यवाही करने के लिए सशक्त होगी । इस प्रकार की कार्यवाही के प्रयोजनार्थ बाकी दार और बाकीदार के लेनदार द्वारा एक्सचेंज को अपना नियत अटार्नी नियुक्त किया गया माना जाएगा ।

अकथ्य

कृते नेशनल स्टाक एक्सचेंज आफ़ इंडिया लिमिटेड

हस्ताक्षर

जे० रविचन्द्रन

कंपनी सचिव एवं उपाध्यक्ष

NATONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

The provisions contained in the Chapter XII of the Byelaws of the Exchange are amended to the extent given hereunder :—

1. The following Byelaws is inserted as Byelaw (1A) after Byelaw 1 in Chapter XII :

QUOTE

(1A) Without prejudice to the foregoing, if a Trading Member is either expelled or declared a defaulter by any other recognised Stock Exchange on which he is a member or if the registration certificate is cancelled by SEBI, the said Trading Member shall be expelled from the Exchange.

UNQUOTE

2. The existing Byelaw 11 is replaced by the following new Byelaw 11 in Chapter XII :

QUOTE

11. Vesting of assets in the Exchange

The Defaulters' Committee shall call in and realise the security deposits in any form, margin money, other amounts lying to the credit of and securities deposited by the defaulter and recover all moneys, securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter by any other Trading Member in respect of any transaction or dealing made subject to the Bye-laws, Rules and Regulations of the Exchange and such assets shall vest ipso facto, on declaration of any trading member as a defaulter, in the Exchagne for the benefit of and on account of any dues of the Exchange, National Securities Clearing Corporation Limited, Securities and Exchange Board of India, other trading members, Constituents and registered sub-brokers of the defaulter, approved banks and any other persons as may be approved by the Defaulters' Committee and other recognised stock exchanges.

UNQUOTE

3. The existing Byelaw 23 is replaced by the following new Byelaw 23 in Chapter XII :

QUOTE

23. Application of Assets :

The defaulters' Committee shall apply the net assets (after setting aside 25% of the total proceeds

recovered from the defaulter for a period of three years from the date of declaration of the Trading Member as a defaulter, to meet any future liability arising on account of bad delivery of shares introduced by the defaulter) remaining in its hands after defraying all such costs charges and expenses as are allowed under the Rules, Bye-laws and Regulations to be incurred by the Exchange, in satisfying the claims in the order of priority provided hereunder :—

(a) Dues to the Exchange, National Securities Clearing Corporation Limited, Securities and Exchange Board of India.

The payment of such subscriptions, debts, fines, fees, charges and other moneys due to the Exchange, National Securities Clearing Corporation Limited, Securities and Exchange Board of India, in the order in which their names appear herein ;

(b) Dues to other Trading Members and to Constituents and registered sub-brokers of the defaulter.

The payments as may be admitted by the Defaulters' Committee, as being due to other Trading Members and Constituents and registered sub-brokers of the defaulter for debts, liabilities, obligations and claims arising out of any contracts made by the defaulter subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, provided that if the amount is insufficient them the amounts shall be distributed pro rata amongst other Trading Members, all the Constituents and registered sub-brokers of the defaulter. The other Trading members shall in turn share the amounts so received with their Constituents on pro rata basis.

(c) Dues to the Approved Banks and claims of any other persons as approved by the Defaulters Committee.

After making payments under (b) above, the amounts remaining, if any, shall be utilised to meet the claims of the approved banks and of any other person as may be admitted by the Defaulter's Committee. The claims of the approved banks should have arisen by virtue of the Exchange or National Securities Clearing Corporation Limited invoking any bank guarantee issued by the bank concerned to the Exchange or National Securities Clearing Corporation Limited as the case may be on behalf of the defaulter to fulfil his obligation of submitting bank guarantee, guaranteeing discharge of obligations under the Byelaws, Rules and Regulations of NSEIL/NSCCL. The claims of other persons should have arisen out of or incidental to the transaction done on the Exchange or requirements laid down by the Exchange, provided that if the amount available be insufficient to pay all such claims in full, they shall be paid prorata, and

(d) Dues to any other recognised stock exchange :

After meeting the claims under (c) above, the remaining amounts, if any, shall be disbursed to any other recognised Stock Exchange for the purpose of meeting the obligations of the defaulter as a member of that Exchage. If the defaulter is a member of more than one recognised Stock Exchange, then the remaining amounts shall be distributed amongst all such recognised stock exchange and if the remaining amount is insufficient to meet the claims of all such stock exchanges, then the remaining amount shall be distributed pro rata among all such stock exchanges.

(e) Surplus

The surplus amounts, if any, remaining after meeting all the above claims, shall be transferred to the Investor's Protection Fund established by the Exchange.

UNQUOTE

4. The existing Byelaw 28 is replaced by the following new Byelaw 28 in Chapter XII :

QUOTE

Proceedings in the name of or against the defaulter

28. The Defaulters' Committee shall be empowered to (a) initiate any proceedings in a court of law either in the name of the Exchange or in the name of the defaulter against any person for the purpose of recovering any amounts due to the defaulter (b) to initiate any proceedings in a court of law either in the name of the Exchange or in the name of the creditors (who have become creditors of the defaulter as a result of transactions executed subject to Bye laws, Rules and Regulations of the Exchange) of the defaulter against the defaulter for the purpose of recovering any amounts due from the defaulter. The defaulter as well as the creditors of the defaulter shall be deemed to have appointed the Exchange as their constituted attorney for the purpose of taking such proceedings.

UNQUOTE

For National Stock Exchange of India Limited

J. RAVICHANDRAN
Company Secretary &
Vice President

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2000
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2000